

### आदेश

श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.3(8)प्रसु/टाईम्स/2013 दिनांक 24 दिसंबर, 2014 तथा इस कार्यालय के क्रमांक: 215-245 पीजी/ निरीक्षण/2015 दिनांक 30.01.2015 एवं आदेश क्रमांक 495-496 पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 28.05.2015 के क्रम में आम जन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से अधोहस्ताक्षरकर्ता के माह नवम्बर, 2019 में दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई एवं रात्रि चौपाल का कार्यक्रम निम्न प्रकार रहेगा :-

दिनांक	नाम उपखण्ड	नम्न ग्राम पंचायत व पंचायत समिति	दौरा, निरीक्षण, रात्रीचौपाल
01.11.19 शुक्रवार	अकलेरा	खारपा प.स. अकलेरा	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई
05.11.19 मंगलवार	खानपुर	कंवल्दा प.स. खानपुर	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई, रात्रीचौपाल
08.11.19 शुक्रवार	झालावाड़	किशनपुरा प.स. बकानी	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई
15.11.19 शुक्रवार	गंगधार	चाडा प.स. डग	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई
19.11.19 मंगलवार	भवानीमण्डी	भिलवाडी प.स. भवानीमण्डी	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई, रात्रीचौपाल
26.11.19 मंगलवार	पिडावा	खैराना प.स. सुनेल	दौरा, निरीक्षण, जनसुनवाई

- अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल में दिन में बाद दोपहर 02.00 बजे से ग्राम पंचायत का निरीक्षण एवं जनसुनवाई किया जायेगा तत्पश्चात सांय 7.00 बजे से प्रत्येक मंगलवार को रात्रि चौपाल प्रारंभ की जायेगी। प्रत्येक शुक्रवार को निरीक्षण एवं जनसुनवाई में दोपहर 02.00 बजे से निरीक्षण एवं दोपहर 03.00 बजे से जनसुनवाई प्रारंभ की जायेगी।
- राजस्थान सम्पर्क आई.टी. पोर्टल पर डी.डी.जी. 1 से डी.डी.जी. 7 तक के प्रपत्र व जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरे, रात्रि चौपाल ऑनलाईन उपलब्ध करवा दिये गये हैं। सम्बंधित Adopters अधिकारी उक्त प्रपत्रों को जनसुनवाई, निरीक्षण, दौरे के पश्चात उसी दिन ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्पूर्ण रात्रि चौपाल/जनसुनवाई कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी संबंधित उपखण्ड अधिकारी होंगे तथा सहायक प्रभारी संबंधित विकास अधिकारी होंगे।
- उपखण्ड अधिकारी अपने स्तर से संबंधित जनप्रतिनिधिगणों को चौपाल में उपस्थित होने हेतु निवेदन करेंगे।
- रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में निम्न विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी/ब्लाक स्तरीय अधिकारी (जिला स्तरीय अधिकारी की अनुपस्थिति में) बाद दोपहर 02.00 बजे उपस्थित होकर मौके पर पंचायत की समस्त विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण व समस्याओं का समाधान करेंगे तथा लापरवाह अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र भरकर रात्री चौपाल/जनसुनवाई में उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे :-

- जलदाय विभाग
- विद्युत विभाग
- ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज
- राजस्व
- शिक्षा विभाग
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
- पशुपालन विभाग
- रसद विभाग
- समाज कल्याण विभाग
- महिला एवं बाल विकास विभाग
- सार्वजनिक निर्माण विभाग
- कृषि विभाग

- सभी विभाग रात्रि चौपाल/जनसुनवाई के निर्धारित दिवस पर बाद दोपहर 02.00 बजे संबन्धित पंचायत में उपस्थित होकर समस्याओं का चिन्हीकरण करेंगे तथा उनका निस्तारण भी करेंगे।
- पटवारी एवं ग्राम सेवक विभिन्न व्यक्तिगत लाभ के आवेदन पत्र भरवायेंगे, उनकी पूर्ति भी करायेंगे जिससे रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में स्वीकृति जारी की जा सके।
- रात्रि चौपाल/जनसुनवाई में प्राप्त जन समस्याओं को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसका समाधान मौके पर ही संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- रात्रि चौपाल/जनसुनवाई के दो दिन पूर्व संबंधित उपखण्ड अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उस पंचायत की क्या-क्या परिसम्पत्तियाँ हैं, उसकी सूची तैयार कर जिला मुख्यालय पर फैक्स द्वारा भिजवायेंगे तथा गांव की रूपरेखा मौके पर ही तैयार रखेंगे।
- उस ग्राम की ग्राम पंचायत क्षेत्र में नियुक्त ग्राम सेवक/पटवारी/आंगनबाडी कार्यकर्ता/महिला सुपरवाइजर/ए0एन0एम0 एवं वहाँ के विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने विभागों की उपलब्धियों के बारे में ब्यौरा चौपाल में प्रस्तुत करेंगे।
- उस ग्राम में विभिन्न प्रमुख सरकारी योजनाओं यथा मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना/ पेंशन/महानरेगा/अन्न सुरक्षा योजना एवं बीपीएल सूची में नाम इत्यादि से लाभान्वित परिवार/व्यक्ति का ब्यौरा रखें।

प्रकार रहेगा :-

- जिन समस्याओं को मौके पर समाधान नहीं किया जा सकता उनको पंजीबद्ध करके संबंधित विभाग को कम से कम समय में निस्तारण करने हेतु पाबन्द किया जावे। इसकी सूचना चौपाल प्रभारी रखेंगे।
- प्रत्येक समस्या/प्रार्थना पत्र को पंचायत समिति स्तर के सम्पर्क समाधान पोर्टल पर चौपाल के अगले दिन दर्ज किया जावेगा।
- निरीक्षण/जनसुनवाई/रात्रि चौपाल के समय प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं को दर्ज कर निर्धारित प्रारूप में परिवादी को पावती देने की जिम्मेदारी सम्बंधित कलस्टर प्रभारी (उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी) की होगी।
- प्रभारी अधिकारी रात्रि चौपाल/जनसुनवाई कार्यक्रम के अन्त में पटवारी/ग्राम सेवक से लिखित में यह प्रमाण पत्र लेगे कि उक्त ग्राम/ग्राम पंचायत में राजकीय योजनाओं यथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लामान्वित होने से कोई भी व्यक्ति शेष नहीं है।
- निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल/जनसुनवाई की समस्त प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 215-245/पीजी/निरीक्षण/2015 दिनांक 05.01.2015 में संलग्न प्रपत्रों में तैयार की जायेगी।

संलग्न :- माह नवम्बर, 2019 का कार्यक्रम।

जिला कलक्टर  
झालावाड़

दिनांक : 07, अक्टूबर 2019

क्रमांक / DM/ राजस्व / रात्रि-चौपाल / 2019 / 972-1021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है -

अति० मुख्य सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव महोदय, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकीय विभाग (प्रभारी सचिव महोदय) राजस्थान सरकार जयपुर।

संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग कोटा।

जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड़।

मण्डल वन अधिकारी, झालावाड़।

अति.जिला कलक्टर, झालावाड़

समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण.....

प्रभारी अधिकारी पी.जी.सेल कलेक्ट्रेट झालावाड़।

सम्बन्धित निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री .....

उपखण्ड अधिकारी समस्त.....

तहसीलदार/नायब तहसीलदार समस्त.....

विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त.....

सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झालावाड़.....

पीए टू कलक्टर

जिला कलक्टर  
झालावाड़